BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 12 सितम्बर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के प्रयास के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 07 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त सुमित पुत्र सुखवीर निवासी अन्धपुर थाना जारचा जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा वर्ष-2012 में वादी भारत सिंह पुत्र राजेश निवासी ग्राम जोखाबाद थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर के भाई आजाद को पुरानी रंजीश के कारण गोली मारकर गंभीर रुप से घायल करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 18.09.2012 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं– 644/2012 धारा 307, 34 भादवि पजीकृत किया गया व बरामदगी के सम्बन्ध मे मुअसं – 690/2012 धारा 25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 19.12.2012 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 08 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 12.09.2024 को न्यायाधीश श्री विजयपाल सिंह (मा0 न्यायालय एडीजे–01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सुमित को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 07 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री राजीव मलिक का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर